तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुए
20/1/20	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता पैरोकार तहसीलदार बाद पत्रावली पर मामला 1205 ग्राम मैदवारे निर्णय दि० 20/2/16 पर बहस अधिवक्ता पैरोकार तहसीलदार, बेहट की सुनी गई। अधिवक्ता पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई ग्राम मैदवारे में दर्ज वाद सं० 1205 निर्णय दि० 20/2/16 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, बेहट को Remand किया जाता है निर्देशित किया जाता है कि इन्तखाब अनुसार इन्तखाब खतौनी के पक्ष में हिस्से की सही जाँच करके इस सही हिस्सा अंकित एवं समायोजन किये जाने की कार्यवाही की जावे। विस्तृत आदेश पृथक से लिखकर पारित किया गया। आदेश की प्रति तहसीलदार, बेहट को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसले की दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 20.1.2020	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

अपील पत्र संख्या :: 09/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील, बेगूँ जिला चितौडगढ़
अपीलान्ट

बनाम

1. उंकार पिता मांगीलाल धाकड निवासी नंदवाई तह. बेगूँ
2. मोहनलाल पिता मांगीलाल धाकड निवासी नंदवाई तह. बेगूँ
3. मुकेश पिता कन्हैयॉलाल धाकड निवासी नंदवाई तह. बेगूँ
4. प्यारी पिता मांगीलाल धाकड निवासी नंदवाई तह. बेगूँ
5. कस्तूरी पिता मांगीलाल धाकड निवासी नंदवाई तह. बेगूँ

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :: तहसीलदार,बेगूँ
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक 20.01.2020

आदेश अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1505 दिनांक 20.02.2016 मौजा नंदवाई प.ह. नंदवाई

अपीलान्ट भूमिधारी तहसीलदार, बेगूँ द्वारा DILRMP के तहत अपील पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौजा नंदवाई में दिनांक 30.07.2015 को हकत्यागकर्ता प्यारी, कस्तुरी पिता मांगीलाल धाकड द्वारा हकत्याग गहितागण रेस्पोडेन्ट उंकार, मोहनलाल पिता मांगीलाल धाकड व मुकेश पिता कन्हैयालाल धाकड के पक्ष में हकत्याग किया गया जो पृष्ट संख्या 364/2015 पर रजिस्टर्ड है। उक्त हकत्याग पत्र में अन्य आराजियात के साथ मौजा नंदवाइ में आराजी संख्या 246 रकबा 0.44 हैक्टर, आराजी संख्या 224, 225, 226 किता– 3 रकबा 0.62 हैक्टर में हकत्याग किया गया जिसमें हकत्याग गहितागण उंकार , मोहनलाल व मुकेश का पुर्व का हिस्सा सम्मिलित करते हुए उंकार, मोहनलाल पिता मांगीलाल व मुकेश पिता कन्हैयालाल धाकड के नये हिस्से कॉलम 9 में प्रस्तावित किये जो स्वीकृत हुए है।

यह कि उक्त नामान्तरण सं0 1505 दिनांक 20.02.2016 में आराजी संख्या 264 में रेस्पोडेन्ट उंकार, मोहनलाल पिता मांगीलाल का हिस्सा 32/120 व मुकेश का हिस्सा 9/120 एवं आराजी संख्या 224, 225, 226 में रेस्पोडेन्ट उँकार, मोहनलाल पिता मांगीलाल का हिस्सा 3/10 व मुकेश का हिस्सा 3/20 स्वीकृत हुआ है जो गलत है (हकत्यागपत्र अनुसार) सही हिस्सा हकत्यागपत्र अनुसार निम्न है:

आराजी संख्या 264	उँकार, मोहनलाल पिता मांगीलाल हिस्सा 1/6 व मुकेश पिता कनहैयॉलाल हिस्सा 3/40 होना चाहिए।
आराजी संख्या 224, 225, 226	उँकार, मोहनलाल पिता मांगीलाल हिसा 1/3 व मुकेश पिता कनहैयॉलाल हिस्सा 3/20 होना चाहिएं।

यह अपील कल कलम सं. 3 में वर्णितानुसार हिस्से का मिलान सही नहीं होने से जमाबंदी दुरूस्तीकरण कार्यवाही (DILRMP) योजना प्रभावित होने से इसके निस्तारण हेतु यह अपील न्यायालय श्रीमान में पेश है।

यह कि राज्य सरकार की योजना (DILRMP) में प्रत्येक खातेदार के हिस्से सही व अलग दर्ज किया जाना अनिवार्य होने से यह अपील न्यायालय श्रीमान में पेश है। अपील का क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्रापत होने से अपील न्यायालय श्रीमान में पेश है। शेष अन्य सहखातेदारो के विरूद्ध कोई अनुतोष की आवश्यकता नहीं होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमा नामान्तरण संख्या 1505 दिनांक 20.02.2016 में जरिये दुरूस्तीकरण के आराजी संख्या 264 में उँकारलाल, मोहनलाल पिता मांगीलाल धाकड हिस्सा 1/6 व मुकेश पिता कन्हैयॉलाल

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

Scanned by CamScanner

हिस्सा 3/40 तथा आराजी संख्या 224, 225, 226 में उँकारलाल मोहनलाल पिता मांगीलाल हिस्सा 1/3 व मुकेश पिता कन्हैयॉलाल हिस्सा 3/20 के अनुसार किये जाने हेतु अधिनस्त न्यायालय ग्राम पंचायत के निर्णय को निरस्त फरमा शुद्धिकरण किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपीलपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5तक न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। अपील पत्र पर पैरोकार तहसीलदार, बेगूँ अपीलांट की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया जिन्होने अपनी बहस में निवेदन किया कि पंजीकृत हकत्याग अनुसार खोले गये नामान्तरण संख्या 1505 निर्णित दिनांक 20.02.2016 में हकत्याग गहिता के हिस्से का गलत अंकन दर्ज किये जाने व उनके हिस्से की शुद्ध करा दर्ज कराये जाने हेतु यह अपील पत्र DILRMP के तहत न्यायालय में प्रस्तुत है।

पत्रावली पर पेरोकार तहसीलदार अपीलान्ट की बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी हल्का नंदवाई का अवलोकन किया गया रिपोर्ट में हकत्याग अनुसार हकत्याग ग्रहिता के हिस्से आराजी संख्या 224 में उँकार मोहनलाल पिता मांगीलाल हिस्सा 1/6 मुकेश पिता कन्हैयॉलाल 3/40 दर्ज होना चाहिए, तथा आराजी संख्या 224, 225, 226 में उँकार मोहनलाल पिता मांगीलाल हिस्सा 1/3 व मुकेश पिता कन्हैयॉलाल हिस्सा 3/20 दर्ज होना चाहिए पूर्व हकत्याग के अनुसार खोले गये नामान्तरण संख्या 1505 में गलत हिस्से का अंकन किया जाने से हिस्से सही दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की गई है। पटवारी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत अपवादित खातो की शुद्धि किये जाने के प्रपत्र का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। नामान्तरण संख्या 1505 निर्णित दिनांक 20.02.2016 एवं पंजीकृत हकत्याग जो कि सहखातेदारान प्यारी पिता मांगीलाल, कस्तूरी पिता मांगीलाल द्वारा उँकार पिता मांगीलाल , मोहनलाल पिता मांगीलाल व मुकेश पिता कन्हैयॉलाल के पक्ष में किया गया उसका भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पूर्व में इन सभी सहखातेदारान के हिस्सो को रखते हुए सहखातेदार प्यारी व कस्तूरी के द्वारा हकत्याग से उनके हिस्से हेतु पुनः खोले गये नामान्तरण में हिस्सा अंकन करने में त्रुटी हुई जिसे हम DILRMP के तहत शुद्ध किया जाना हम उचित समझते है। अपील अपीलान्ट की स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट तहसीलदार, बेगूँ की स्वीकार की जाती है। मौजा नंदवाई प.ह. नंदवाई में दर्ज नामान्तरण संख्या 1205 निर्णित दिनांक 20.02.20016 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, बेगूँ को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि हकत्याग ग्रहिता के द्वारा उनके हक में प्राप्त की गई कृषि आराजीयात की जॉच कर बाद जॉच जो हिस्सा सही है उस सही हिस्से का अंकन करते हुए पुनः नामान्तरण खोले जाने की कार्यवाही की जावें।

आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

20.1.2020

(रमेश सीरवी पनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

<u>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़</u>

क्रमांक/सरिश्ता/2020/ 11 — दिनांक :: 28-1-2020

अपील संख्या 09/2019 व अनवानर राजस्थान सरकार बनाम श्रीमति कम्मु वगै. अपील नामान्तरण में हुए निर्णय प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner